भाग तीन: खण्ड चार

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय अधिसूचना क्र. G.S.R./711(E)

दिनांक 4 **अगस्त**, 1992

वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 (क्र. 53 वर्ष 1972) की धारा 63 उपधारा (1) के खण्ड (एफ) एवं (जी) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत केन्द्र शासन निम्न नियम बनाता है,

पशुवाटिका की मान्यता नियम, 1992

धारा 1 **संक्षिप्त नाम व लागू होने की तिथि: (**1) **ये नियम ''पशुवाटिका की मान्यता नियम** 1992'' **कहलाएंगे।**

(2) **ये नियम 'इनके राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होने।**

नोट: ये नियम भारत शासन राजपत्र (असाधारण) भाग II **खण्ड** 3(1) **दिनांक** 4-8-92 **को पृष्ठ** 8 **से** 13 **पर प्रकाशित हुए अतः नियम लागू होने की तिथि** 4-8-92 **हुई।**

धारा 2. **परिभाषाएं - इस नियम में जब तक कि कोई बात नियम या संदर्भ के विपरीत न हो:**

(ए) 'अधिनियम' : **से तात्पर्य 'वन्यप्राणी' (संरक्षण) अधिनियम** 1972 (**क्र.** 53 **वर्ष** 1972) **से है।**

(बी) 'बाड़ा' (Enclosure) **से तात्पर्य पशुवाटिका के प्राणियों के रहवास के लिये प्रदत्त स्थान से है।**

(सी) 'कटघरा अवरोध (Enclosure barrier)' **से तात्पर्य है वह वास्तविक अवरोध जो बाड़े के अन्दर एक पशु के रहने के लिये बना हो।**

(डी) 'समाप्ति के खतरे वाली प्रजातियां (Endangered Species)' **से तात्पर्य है वह प्रजातियां जो अधिनियम की सूची** I **में सम्मिलित हैं।**

[1]**(डीडी) ''अतिसंकटापन्न प्रजाति'' से बाघ, एशियाई शेर और पैन्थर से भिन्न ऐसी संकटापन्न प्रजाति अभिप्रेत है जिनकी देश में कुल संख्या सभी चिड़ियाघरों में कुल मिलाकर** 200 **से अधिक नहीं है''।**

(ई) ''फार्म'' : **से तात्पर्य इन नियमों की परिशिष्ट** (A) **में दिये फार्म से हैं।**

(एफ) ''प्रदर्शन का उद्देश्य'' (Performing purpose) **से तात्पर्य है वह कार्य जो पशुओं को अप्राकृतिक, कार्य करने को बाध्य करे जिसमें सरकस के करतब भी सम्मिलत हैं।**

[2]**(एफ-एफ) ''बचाव केन्द्र'' से अभिप्रेत इस अधिनियम की अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट पशुओं की देखभाल के लिए स्थापित केन्द्र, जो लोगों के प्रदर्शन के लिये नहीं खुले हैं।''**

(जी) ''दर्शकों को दूर रखने हेतु अवरोध (Stand of Barrier)'' **से तात्पर्य है वह अवरोध जो कटघरा अवरोध के बाहरी सिरे से दूर लगा वास्तविक अवरोध:**

(एच) ''पशुवाटिका संचालक (Zoo operators)" **से तात्पर्य है वह व्यक्ति जो पशुवाटिका के क्रियाकलापों पर अंतिम नियंत्रण रखता हो, परंतुः**

---

1. **वन एवं पर्यावरण मंत्रालय - अ.क्र./सा.का.नि./**186(**अ**) **दि.** 8-2-04 **द्वारा (डी.डी.) जोड़ी गई।**

2. **पर्या. एवं वन मंत्रालय अ.क्र./सा. का.नि./**186 (**अ**) **दि.** 6-2-04 **भारत का राज. (असां) भाग-**2 **खण्ड** 3(1) **दि.** 9-2-04 **पृ.** 1-7 **पर प्रकाशित से 'एक-एक' जोड़ा गया।**

I. **किसी साझे की संस्था** (Firm) **या एकल व्यक्ति का संघ** (Association) **के सम्बन्ध में कोई एक भागीदार या सदस्य को पशुवाटिका संचालक माना जावेगा।**

II. **किसी कम्पनी के सम्बन्ध में उसके संचालक, व्यवस्थापक,** (Manager) **सचिव या अन्य अधिकारी जो पशुवाटिका का प्रभारी हो, तथा कम्पनी को पशुवाटिका के क्रियाकलापों की उत्तरदायी हो, को पशुवाटिका का संचालक माना जावेगा।**

III. उस पशुवाटिका के सम्बन्ध में, जो केन्द्र शासन, राज्य शासन या स्थानीय प्राधिकरण की हो, या जिस पर इनका नियंत्रण हो, वह व्यक्ति जिसको केन्द्र शासन, राज्य शासन या प्राधिकरण ने पशुवाटिका के कार्य सम्पादन हेतु नियुक्त किया हो, को पशुवाटिका संचालक माना जावेगा।

(3) मान्यता हेतु आवेदन : धारा 38(H) के अन्तर्गत पशुवाटिका की मान्यता हेतु आवेदन फार्म ''A'' में केन्द्रीय पशुवाटिका प्राधिकरण को दिया जावेगा।

(4) आवेदन फीस (अ) प्रत्येक आवेदन के लिये, जो नियम की धारा (3) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जावेगा, रुपये पांच सौ फीस के रूप में जमा किये जावेंगे।

(ब) फीस की राशि डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर के द्वारा जमा की जावेगी जो केन्द्रीय पशुवाटिका प्राधिकरण को देय हो।

(5) आवेदन के साथ प्रस्तुत होने वाले अभिलेख तथा विवरण जो दिया जाना चाहिए : प्रत्येक आवेदन के साथ निर्धारित फीस की राशि का ड्राफ्ट या पोस्टल आर्डर लगाया जावेगा तथा फार्म 'A' में दी गई बातों का स्पष्ट विवरण दिया जावेगा।

(6) जांच करने तथा सूचना मंगाने की शक्ति : किसी पशुवाटिका को अधिनियम की धारा 38(H) के अन्तर्गत मान्यता देने के पूर्व, प्राधिकरण, पशुवाटिका द्वारा फार्म 'A' में दी गई जानकारी के सम्बन्ध में ऐसी जांच कर सकता है जो आवश्यक समझे और अतिरिक्त जानकारी भी मांग सकता है।

(7) मान्यता प्रदाय करने की शर्तें : किसी भी पशुवाटिका को मान्यता निम्न शर्तों पर दी जावेगी, यथा :

(ए) जब तक स्थाई रूप से मान्यता न दी गई हो, मान्यता ऐसी अवधि के लिये, जो एक वर्ष, से कम हो, और जो मान्यता पत्र में दर्शाई गई हो, के लिये होगी।

(बी) यह कि पशुवाटिका, ऐसे मानक (Norms) एवं मापदंड (Standard) जो अधिनियम या इन नियमों में निर्धारित है, या जो इनके अन्तर्गत लागू किये जावेंगे, का पालन करेगी।

(8) मान्यता नवीकरण: (अ) मान्यता प्राप्त पशुवाटिका, जो मान्यता नवीनीकरण चाहती है, मान्यता की अवधि की समाप्ति के तीन माह पूर्व, फार्म 'A' में केन्द्रीय पशुवाटिका प्राधिकरण को आवेदन देगी।

(ब) मान्यता के नवीकरण में नियम 3, नियम 4, नियम 5, नियम 6 और नियम 7, उसी पकार लागू होगें, जैसे मान्यता प्रदाय करते समय लागू होते हैं। केवल नवीकरण के समय फीस की राशि, दो सौ रुपये देय होगी।

(9) पशुवाटिका का वर्गीकरण: पशुवाटिका की मान्यता हेतु मानक एवं मापदंड निर्धारित करने, तथा उनके द्वारा किये कार्य का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से, पशुवाटिका को उसके क्षेत्रफल, पशु संख्या, पशुओं की प्रजातियां तथा दर्शकों की संख्या के आधार पर नीचे दिये अनुसार चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

पशुवाटिका की श्रेणी	बड़ी	मध्यम	छोटी	लघु
1. पशुवाटिका का क्षेत्रफल (हेक्टेयर) में	75 हे. से अधिक	50-75 हे.	20-50 हे.	20 हे. से कम
2. प्रदर्शित होने वाले पशुओं की संख्या	750 से अधिक	500-750	200-499	200 तक
3. पशुओं की प्रजातियां	75 से अधिक	50-75	20-49	20 तक
4. समाप्ति के खतरे वाली प्रजातियों की संख्या	15 से अधिक	10-15	5-9	5 से कम
5. दर्शकों की संख्या (वार्षिक)	7.5 लाख से अधिक	5-7.5	2-5 लाख	2 लाख से कम

(10) **मान्यता प्रदाय करने हेतु धारा** 38H **के अन्तर्गत, प्रसम मान** (Norm)**एवं मापदण्ड** (Standard) **: केन्द्रीय पशुवाटिका प्राधिकरण, पशुवाटिका को पशुओं की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य तथा अन्य मानक, मापदंड और अन्य बातों को, जो नीचे दी गई हैं ध्यान में रखकर मान्यता देगा, यथा:**

सामान्य

(1) **किसी चिड़ियाघर के संचालन का प्रमुख उद्देश्य वन्य जीवों का संरक्षण करना होगा और कोई चिडियाघर किसी ऐसे क्रियाकलाप की अनुज्ञा नहीं देगा, जो वन्य पशुओं के कल्याण से असंगत है।''**

(2) **कोई भी पशुवाटिका, इस अधिनियम या नियमों का उल्लंघन कर कोई पशु प्राप्त नहीं करेगी।**

(3**क) कोई भी चिड़ियाघर, किसी भी पशु के प्रति/पशुओं के प्रति करता निवारण अधिनियम**, 1960 (1960 **का** 59) **के अधीन प्रतिषिद्ध क्रूरता नहीं होने देगा।**

(3**ख) ऐसी प्रजातियों से संबंधित पशुओं को, जिनके करतब दिखाने पर पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम**, 1960 (1960 **का** 59) **के अधीन पाबंदी लगा दी गई है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जाएगा:**

परन्त ऐसे पशु स्थायी रूप से उपयुक्त आवास सुविधा सहित सर्कसों द्वारा उनके पसंद के किसी स्थान पर रखे जा सकेंगे।

(4) **कोई भी पशुवाटिका, किसी पशु को, मैदान में हाथी और पहाड़ी क्षेत्र में सुरागाय को छोड़कर, सवारी ढोने या वाहन खींचने के कार्य में नहीं लेगी।**

(5) **कोई भी पशुवाटिका, किसी पशु को जंजीर से बांधकर या दांत निकाल कर नहीं रखेगी जब तक कि ऐसा करना उनके लिये हितकर न हो।**

(6) **कोई भी पशुवाटिका, किसी गंभीर रूप से बीमार, चोट खाया, या दुर्बल पशु का प्रदर्शन नहीं करेगी।**

(7) **प्रत्येक पशुवाटिका, सप्ताह में कम से कम एक दिन, दर्शकों के लिए बन्द रहेगी।**

(8) **प्रत्येक पशुवाटिका की परिधि दीवार से घिरी रहेगी जिसकी ऊँचाई जमीन तल से कम से कम दो मीटर होगी। वर्तमान में उपलब्ध पशुवाटिकाएं, जो सफारी** (Safari) **या हिरण उद्यान** (Deer Park) **के रूप में हैं, उनमें चेन से जुड़ी उचित डिजाइन एवं नाप की फेन्सिंग (बागड़) बनी रहेगी।**

(9) **पशुवाटिका के संचालक, पशुवाटिका का वातावरण वृक्ष लगाकर, चारों और हरियाली कर तथा उसमें घास का मैदान या पुष्प वाटिका लगाकर स्वच्छ एवं स्वस्थ रखेंगे।**

(10) **किसी भी पशुवाटिका में भवनों का क्षेत्रफल पशुवाटिका के क्षेत्रफल का** 25% **से अधिक नहीं होगा। भवनों के क्षेत्र में प्रशासकीय भवन, भंडार गृह, रेस्टोरेंट .....** (Kiosks), **दर्शानार्थी के आराम गाह, अस्पताल, पशुघर और पक्की सड़क सम्मिलित है।**

[1](11**क) प्रत्येक चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में रखे गये पशुओं के लिए भूमि, पानी, बिजली और क्षेत्र की वातावरणीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, एक संग्रहण योजना तैयार करेगा और चिड़ियाघर में संप्रदर्शित करेगा।**

(11**ख) बचाव केन्द्र, मुख्य वन्यजीव वार्डन को सूचित रखते हुए, उनके पास लाए वन्य पशुओं को स्वीकार कर सकेगा।''**

प्रशासकीय एवं कर्मचारियों की रूपरेखा

(12) **प्रत्येक पशुवाटिका में एक पूर्णकालिक प्रभारी अधिकारी होना चाहिये और उसको उचित प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां प्रदान की जाना चाहिये, जो पशुवाटिका के उचित रख-रखाव और पशुओं की देख-रेख के लिये आवश्यक है।**

(13) **प्रत्येक बड़ी एवं मध्यम पशुवाटिका में, कम से कम एक पूर्णकालिक क्यूरेटर (अजायब घर का रक्षक) होना चाहिये, जो पशुओं की देख-रेख, और कटघरों के रख-रखाव का पूर्ण रूप से उत्तरदायी हो।**

(14) प्रत्येक बड़ी पशुवाटिका में कम से कम दो पूर्णकालिक पशु चिकित्सक तथा मध्यम एवं छोटी पशुवाटिका में एक पशु चिकित्सक पूर्णकालिक रूप में होना चाहिये। लघु पशुवाटिका में किसी बाहरी चिकित्सक से प्रतिदिन पशुओं की देखरेख की व्यवस्था होना चाहिए।

[2](14क) प्रत्येक चिडिया घर में निम्न अर्हतावाले पशुचिकित्सक होंगे -

प्रवर्ग	ज्येष्ठ पशु चिकित्सक	कनिष्ठ पशु चिकित्सक
विशाल चिड़ियाघर	1	1
मध्यम चिड़ियाघर	1	1
छोटे चिड़ियाघर	1	0

ज्येष्ठ पशु चिकित्सक के पास बी.वी.एस सी और ए एच की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता या समतुल्य हो और केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी चिड़ियाघर में न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव भी हो और राज्य पशुचिकित्सा परिषद या भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से सम्यकतः रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।

---

1. वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय - अ.क्र./G.S.R./186(अ) दि. 6.2.04 से 'II-क' तथा 'II-ख' जोड़े गये।

2. पर्या. एवं वन मन्त्रालय अधि. क्र. सा. का नि./106 (अ) दि. 6.2.04 भा. के राजपत्र (असा.) भाग 2 (खण्ड 3) (1) दि. 9.2.04 पृ. 1-7 पर प्रकाशित

कनिष्ठ पशुचिकित्सक के पास बी. वी. एस सी और ए एच की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हो और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से चिड़ियाघर और वन्यजीव रोग प्रबंधन या वन्यजीव रोग एवं प्रबंधन में मास्टर डिग्री हो और राज्य पशु चिकित्सा परिषद या भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से सम्यकतः रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए।

पशुओं के कटघरे, उनकी रचना, नाप एवं अन्य आवश्यक विशिष्टताएं

(15) पशुवाटिका में समस्त पशुओं के कटघरे इस प्रकार बनने चाहिये जिससे पशु, पशुरक्षक और दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित रहे। दर्शकों को पशुओं से उचित दूरी पर रखने के लिए पशुओं के कटघरे से दूर दर्शकों के खड़े रहने के बेरियर तथा चेतावनी के बोर्ड लगे रहने चाहिये।

[1](16) किसी चिड़ियाघर में सभी पशुबाड़े इस प्रकार से डिजाइन किए जायेंगे ताकि उनके भीतर रखे गए पशुओं की सभी जीव अपेक्षाएं पूर्ण हो जाएं। बाड़े ऐसे आकार के होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पशु अपने स्वच्छंद विचरण और अभ्यास के लिए स्थान पा सकें। झुंडों में रहने वाले पशुओं पर किसी विशिष्ट पशु का अधिपत्य न बन सके। ऐसी प्रजातियों की दशा में जिन्हें आचरण या जैविक कारणों से समूह में न रखा जा सके, प्रत्येक पशु के लिए पृथक-पृथक बाड़ों का उपबंध किया जाएगा। बाड़े इन नियमों के परिशिष्ट-2 में दिए गये आयामों से छोटे नहीं होंगे। ये आयाम सर्कसों पर लागू नहीं होंगे।

तथापि, जब वे अभिवहन में न हो, सर्कस पशुओं के विचरण और अभ्यास के लिए स्थान का उपबंध करेंगे।''

(17) पशु वाटिका संचालक को पशुओं के बाड़े में, पशुओं के प्राकृतिक निवास की स्थिति, कृत्रिम रूप से यथा-संभव निर्मित करना चाहिये। पशुओं के लिये छाया हेतु उचित प्रजाति के वृक्ष लगाना चाहिये तथा ऐसे शरण स्थलों का निर्माण करना चाहिये जो बाड़े के पर्यावरणीय आवरण में घुल मिल जावे। जहां तक तकनीकि रूप से संभव हो, बाहरी अवरोध खाई खोदर निर्मित करना चाहिये।

[2](18) चिकिड़याघर में, प्रत्येक स्तनपायी को खाने की व्यवस्था, खिलाने के कक्ष/विश्राम कक्ष या क्राल में, की जाएगी। खाना खिलाने के कक्षों या क्रालों की संख्या और आकार भी ऐसा होगा जिससे कि शक्तिशाली पशु, अन्य पशुओं को पर्याप्त खाना खाने से वंचित न कर सकें। संकटापन्न स्तनपायी प्रजातियों के लिए इन नियमों के परिशिष्ट-1 में यथाविनिर्दिष्ट आयामों के पृथक-पृथक खाना खिलाने के कक्ष की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक कक्ष/कोठरी में .....

(19) प्रत्येक कटघरे/कोठरी से अतिरिक्त जल, मल-मूत्र तथा अवशेष जल की निकासी की व्यवस्था होना चाहिये।

(20) **समाप्ति के खतरे वाली प्रजातियों के लिये बनने वाले नये कटघरों की आकृति** (Design) **को केन्द्रीय पशुवाटिका प्राधिकरण की सलाह के उपरान्त ही अन्तिम रूप देना चाहिए।**

---

1. **पर्या. एवं वन मन्त्रालय अधि. क्र. सा. का.नि./**106 **(अ) दि.** 6.2.04 **भा. के राजपत्र (असा.) भाग** 2**(खण्ड** 3**)** (1) **दि.** 9.2.04 **पृ.** 1-7 **पर प्रकाशित।**
2. **वन पर्या. तथा वन सा. का.नि.** 106 **(अ) दि.** 6.2.04 **से चिड़िया घर की मान्यता (संशोधन) नियम** 2004 **प्रकाशित हुए। उसके द्वारा यह संशोधन हुआ है।**

(21) **प्रत्येक पशुवाटिका को, प्रत्येक पशु को स्वास्थ्य कर** (Shole some), **अपमिश्रण रहित** (Un adulterated) **उसकी आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में, समय पर भोजन दिया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। किसी भी पशु के आहार में पौष्टिकता की कमी नहीं आना चाहिये।**

(22) **प्रत्येक पशुवाटिका में कचरे के निवर्तन हेतु उचित व्यवस्था होनी चाहिये, जिससे पशुवाटिका में उत्पन्न ठोस एवं तरल कचरे का सही प्रकार से निवर्तन हो।**

(23) **प्रत्येक पशु के कटघरे से, अवशेष भोजन, वस्तुएं, पशुओं के मलमूत्र एवं अन्य कचरे की प्रतिदिन सफाई की जाना चाहिए और उसको इस प्रकार नष्ट करना चाहिए जो पशुवाटिका की सामान्य सफाई के अनुरूप हो।**

(24) **पशुवाटिका संचालकों को पशुओं के वास स्थान में पीने योग्य पानी की** 24 **घण्टे व्यवस्था रखना चाहिये।**

(25) **पशुओं के प्रत्येक वास स्थान में अधिकृत पशु चिकित्सक के निर्देशानुसार कीटाणुनाशक औषधि का छिड़काव करना चाहिए।**

पशुओं की देख-भाल, उनका स्वास्थ्य एवं इलाज

(26) **प्रत्येक पशु की देख-रेख उस पशु के लिये प्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मचारी द्वारा की जाना चाहिये। ऐसे प्रयास करना चाहिए जिससे पशु को कोई असुविधा या व्यवहार के कारण तनाव या शरीर को कोई हानि न पहुंचे।**

(27) **पशुवाटिका के प्रत्येक पशु के स्वास्थ्य की जांच प्रतिदिन उनकी सुरक्षा हेतु नियुक्त कर्मचारी द्वारा की जाना चाहिये। यदि कोई पशु बीमार, घायल या अनावश्यक तनाव से ग्रस्त हो तो इसकी रिपोर्ट, पशु चिकित्सक का, तत्काल इलाज करने हेतु, करना चाहिये।**

(28) **पशुओं की नियमित रूप से जांच, परजीवी** (Parasite) **जीवाणु की जांच सहित, की जाना चाहिये तथा पशु चिकित्सक द्वारा निर्णित अवरोधात्मक दवाएं तथा इंजेक्शन समय-समय पर देने चाहिये।**

(29) **पशुवाटिका संचालक को, पशुओं की देख-रेख करने वाले कर्मचारी के स्वास्थ्य का परीक्षण कम से कम छः माह में एक बार अवश्य कराना चाहिये, जिससे यह निश्चित किया जा सके कि वे किसी संक्रामक बीमारी से पीड़ित नहीं हैं, जो पशुवाटिका के पशुओं पर कीटाणु फैला सकें।**

(30) **प्रत्येक पशुवाटिका में, ऐसे समस्त पशुओं की, जिनको पशुवाटिका प्राधिकरण ने समाप्ति के खतरे वाली माना है, पशु इतिहास** (Animal History) **और उनके इलाज का कार्ड** (Treatment Card) **रखा जाना चाहिये।**

पशु चिकित्सा की सुविधाएं

[1](31) **प्रत्येक विशाल और मध्यम चिड़ियाघर के पास पूर्ण विकसित पशुचिकित्सा यूनिट होगी जिसमें आधारित मैदानिक सुविधाएं, औषधियों की व्यापक रेंज और पशु स्वास्थ्य देखभाल तथा रखरखाव संबंधी संदर्भ पुस्तकालय होगा। प्रत्येक पशुचिकित्सा यूनिट में आने वाले पशुओं और बीमार पशुओं की देखभाल करने के लिए अलग तथा संगरोध वार्ड होंगे जिससे कि अन्य पशुओं में फैलने वाले संक्रमणों के अवसरों को, न्यूनीकृत किया जा सके।''**

---

1. **वन पर्या. तथा वन सा. का. नि.** 106 **(अ) दि.** 6.2.04 **से चिड़ियाघर की मान्यता (संशोधन) नियम** 2004 **प्रकाशित हुए। उसके द्वारा यह संशोधन हुआ है।**

(32) प्रत्येक चिकिड़याघर में वन्य पशुओं को नियन्त्रित और उनकी देखरेख करने के लिए सुविधाएं होगी।

(33) जिन छोटे और बड़े चिड़ियाघरों में पूर्ण विकसित, पशु चिकित्सा यूनिट उपलब्ध नहीं है, उनमें चिड़ियाघरों के परिसरों में कम से कम एक उपचार कक्ष होगा जहां पशुओं की नैमित्तिक जांच की जा सके और तत्काल उपचार किया जा सके।

[1]खण्ड (34) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:

(34) ऐसा कोई पशु, जिसकी चिड़ियाघर में मृत्यु हो जाती है तो उसकी राज्य पशु चिकित्सा परिषद या भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से रजिस्ट्रीकृत किसी पशु चिकित्सक द्वारा विस्तृत पोस्टमार्टम किया जाएगा और इसके निष्कर्ष अभिलिखित किए जाएंगे और जिन्हें कम से कम छह वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा।

(35) प्रत्येक पशु वाटिका में एक श्मशान होना चाहिये जहां मृत पशु का शव गाड़ा जावे तथा जिससे पशुवाटिका के अन्य पशुओं पर कोई प्रभाव न पड़े तथा पशुवाटिका का पर्यावरण दूषित न हो। बड़ी एवं मध्यम पशुवाटिका में पशुओं के शव एवं अन्य पशुओं के निवर्तन हेतु इन्सीनेटर (Inscineator) की व्यवस्था होनी चाहिये।

(36) प्रत्येक पशुवाटिका, से पशुओं की, जो उस पशुवाटिका के लिये केन्द्रीय पशुवाटिका प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, बन्दीगृह में प्रजनन (Captive breeding) का कार्यक्रम बनावेगी। वे इस सम्बन्ध में पशुवाटिका प्राधिकरण के निर्देश एवं मार्गदर्शन का पालन करेंगे।

[2](37) किसी पशु को, साथी के बिना एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक कि ऐसा करने के लिए विधिमान्य कारण न हों या पशु ने अपनी चरमावस्था पहले ही पार कर ली हो और प्रजनन प्रयोजनों के लिए उपयोगी नहीं रह गया हो। चिड़ियाघर के इस अवधि के भीतर किसी अकेले पशु के लिए साथी ढूंढने में असफल रहने की दशा में पशु को केन्द्रीय चिकिड़याघर प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार किसी अन्य स्थान पर भेज दिया जाएगा।

(38) किसी भी पशुवाटिका को, किसी प्रजाति के एक ही पशु को प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जावेगी, जब तक कि ऐसा करना उस पशुवाटिका में स्थित किसी एकाकी पशु के लिये साथी की आवश्यकता की पूर्ति करता हो या बन्दीगृह में प्रजनन के लिये वंश बदलने के लिए आवश्यक हो।

[1](39) प्रत्येक चिड़ियाघर राज्य के मुख्य वन्यजीवन संरक्षक के परामर्श से केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संकटापन्न प्रजातियों के योजनाबद्ध प्रजनन कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस प्रयोजन के लिए वे केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के निर्देश के अनुसार प्रजनन उधार, उपहार आदि के रूप में चिड़ियाघर के बीच पशुओं का आदन प्रदान करेंगे।

---

1. वन पर्या. तथा वनसा. का.नि. 106(अ) दि. 6.2.04 से चिड़ियाघर की मान्यता (संशोधन) नियम 2004 प्रकाशित हुए। उसके द्वारा यह संशोधन हुआ है।

2. पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय-अधि. क्र. G.S.R./106अ/ दि. 6.2.04 द्वारा धारा 39 संशोधित

(40) प्रत्येक पशुवाटिका, अधिक बच्चे देने वाली प्रजाति की संख्या में वृद्धि पर नियंत्रण के लिये, जनसंख्या नियंत्रण के उचित उपाय, जैसे नर-मादा को अलग-अलग रखना, निष्कीटन (Sterization),..... (Tubectomy) फूस का बिछौना लगाना, ... (Vasectomy) आदि उपयोग में लाना चाहिये।

(41) कोई भी पशुवाटिका, पशुओं की विभिन्न प्रजातियों या उसी प्रजाति के अन्य वंशों में संकर प्रजनन (Hybridization) की अनुमति नहीं देगी।

अभिलेख रखना, तथा सम्पत्ति सूची का केन्द्रीय पशुवाटिका प्राधिकरण को प्रस्तुतीकरण

(42) प्रत्येक पशुवाटिका, पशुओं की जन्म से प्राप्ति, विक्रय, अन्य विवरण, एवं मृत्यु का लेखा रखेगी। प्रत्येक पशुवाटिका, उसमें दिनांक 31 मार्च को रखे गये पशुओं की सूची उसी वर्ग की 30 अप्रैल तक केन्द्रीय पशुवाटिका प्राधिकरण को भेजेगी।

(43) प्रत्येक पशुवाटिका प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पशुवाटिका में मृत पशुओं का संक्षिप्त विवरण तथा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एवं अन्य परीक्षाओं के आधार पर मृत्यु के कारण की रिपोर्ट, अगले वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल तक केन्द्रीय पशुवाटिका प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी।

(44) प्रत्येक पशुवाटिका, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, उसके द्वारा किये गये क्रियाकलापों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करेगा। उस वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, दो माह के अन्दर, केन्द्रीय पशुवाटिका प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी। इस प्रतिवेदन की प्रति जनसाधारण को भी उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना चाहिये।

शिक्षा और अनुसंधान

(45) पशुवाटिका में प्रत्येक पशु के कटघरे पर एक बोर्ड लगाना चाहिए जिसमें उसमें पशु के सम्बन्ध में वैज्ञानिक जानकारी प्रदर्शित की गई हो।

(46) प्रत्येक पशुवाटिका पर्चे, संक्षिप्त विवरण (Brouchers) मार्गदर्शक पुस्तिका, आदि प्रकाशित करावेगी और उसको मुफ्त में या उचित मूल्य पर दर्शकों को उपलब्ध करावेगी।

(47) प्रत्येक बड़ी एवं मध्यम पशुवाटिका को, पशुवाटिका में रखे गये पशुओं के शारीरिक व्यवहार, जनसंख्या की गति, चिकित्सकीय सावधानियों के लेखे आदि केन्द्रीय पशुवाटिका प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार रखना चाहिये ताकि इन मूलभूत आंकड़ों के आधार पर विस्तृत स्टडी की जा सके। इन मूलभूत आंकड़ों का अन्य पशुवाटिकाएं तथा केन्द्रीय पशुवाटिका प्राधिकरण को आदान-प्रदान किया जाना चाहिये।

दर्शकों की सुविधा

(48) पशुवाटिका संचालक को, दर्शकों के लिये पशुवाटिका में सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक सुविधाएं जैसे स्नानागार, आरामगाह, पीने के पानी की व्यवस्था रखना चाहिये।

(49) प्रत्येक पशुवाटिका में, प्राथमिक चिकित्सा जहर विरोधी दवा सरलता आदि से उपलब्ध होना चाहिये।

(50) शारीरिक रूप से अक्षम दर्शक, तथा ऐसे दर्शक जो व्हील चेयर में हों, को भी देखने की व्यवस्था होनी चाहिये।

योजना एवं विकास

(51) प्रत्येक पशुवाटिका को अपने विकास के लिये दीर्घकालीन योजना बनाना चाहिये। प्रत्येक पशुवाटिका की एक प्रबंध योजना भी बनानी चाहिये जिसमें अगले छः वर्षों में होने वाली गतिविधियां एवं विकास कार्यों का विवरण होना चाहिये। इस योजना की एक प्रति केन्द्रीय पशुवाटिका प्राधिकरण को भी भेजी जाना चाहिऐ।

[1]10क. सर्कसों और बचाव केन्द्रों की दशा में नियम 10 का लागू होना - (1) नियम 10 के (17), (46), (47) और (51) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

(2) नियम 10 के अधीन बचाव केन्द्रों के लिए मायता देने की दशा में, खंड (10), (38), (46) और (51) के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

फार्म

प्रति,

सदस्य सचिव,

केन्द्रीय पशुवाटिका प्राधिकरण (भारत),

नई देहली

हम - (पशुवाटिका का नाम) की वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम की धारा 38 H **के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं। केन्द्रीय पशुवाटिका प्राधिकरण के नाम से रुपये** 500/- **(रुपये पांच सौ) का बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर संलग्न है।**

..... **के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है :**

(पशुवाटिका का नाम)

(1) **पशुवाटिका का नाम .....**

(2) **पशुवाटिका की स्थिति तथा क्षेत्रफल.....**

(3) **स्थापना की तिथि .....**

(4) **नियंत्रण अधिकारी/चालक का नाम .....**

(5) **गत तीन वर्षों में पशुवाटिका में आये दर्शकों की संख्या (वर्ष वार)**

(1) .....
(2) .....
(3).....

(6) **एक वर्ष में दर्शकों के लिए कितने दिवस पशुवाटिका खुली रहती है।**

.....

(7) **पशुओं की संख्या जो पशुवाटिका में प्रदर्शित की जाती है।**

न.	**प्रजातियों की संख्या जो प्रदर्शित की जाती है।**	**गत वर्ष के अन्त में उनकी संख्या**	**पैदा हुए**	**प्राप्त**	**मृत्यु**	**अन्य निवर्तन**	**आवेदन की तिथि की स्थिति**
(1)	**स्तन पायी**						
(2)	**पक्षी**						
(3)	**रेंगने वाले जन्तु**						

1. **पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय-अधि. क्र.** G.S.R./106 **अ/ दि.** 6.2.04 **द्वारा धारा** 10'क' **जोड़ी गई।**

(4) **जल तथा थल पर चलने वाले जन्तु**

(5) **मछली एवं अन्य**

(6) **बिना रीढ़ वाले जन्तु**

(8) **कटघरों की कुल संख्या:**

(i) **खुला खाई युक्त कटघरा**

(ii) **बन्द पिंजरे/पक्षी शाला**

(9) **गत तीन वर्ष में समाप्ति के खरते वाली प्रजातियों के प्रजनन की सूची**

(10) **पशु चिकित्सीय सुविधाएं:**

(a) **क्या पूर्ण कालिक पशु चिकित्सालय है या नहीं**

(b) **पशु चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाएं:**

(i) **आपरेशन थियेटर/सर्जिकल कक्ष**

(ii) **एक्स-रे की सुविधा**

(iii) **सुकड़ने वाले पिंजरे**

(iv) **भरती मरीजों का कक्ष**

(v) **संक्रामक रोगियों का कक्ष**

(vi) **औषधालय**

(vii) **पशुओं के शिशुओं को पालने हेतु शिशुशाला**

(viii) **पेथालाजिकल लेबोरेटरी**

(ix) **स्तब्ध करने का यंत्र व दवायें**

(11) **क्या पशुवाटिका में निम्न सुविधाएं उपलब्ध हैं:**

(i) **रसोई घर**

(ii) **भोजन का भंडार गृह**

(iii) **रेफ्रिजरेटर**

(iv) **पीने योग्य जल की व्यवस्था**

(v) **भोजन के वितरण हेतु गाड़ी/रिक्शा आदि**

(12) **स्वास्थ्य सुरक्षा एवं रोग नियंत्रण:**

(i) **क्या पशुओं के पीने के लिए प्रदूषण रहित पानी उपलब्ध है**

(ii) **क्या कटघरों से पानी के निकास की उचित व्यवस्था है**

(iii) **क्या कचरे के प्रतिदिन निवर्तन की व्यवस्था है**

(iv) **क्या अनिष्टकारी कीट (**Pest) **तथा .....** (Predators) **के नियंत्रण की व्यवस्था है**

(v) **क्या रोग निवारक उपाय, जैसे कीड़े निकालना, टीके लगाना आदि किये जाते हैं**?

(13) **दर्शकों की सुविधाएं:**

(a) **क्या जनसुविधाएं जैसे स्नानागार/शौचालय आदि उपलब्ध हैं**?

(b) **क्या पीने के पानी के काफी मात्रा में नल लगे हैं**

(c) **क्या दर्शकों के लिये उचित दूरी पर शरण स्थल उपलब्ध है**

(d) **क्या दर्शकों के लिये सूचना केन्द्र तथा प्रकृति की व्याख्या करने के केन्द्रों की व्यवस्था है।**

(e) **क्या पशुवाटिका सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था है।**

(f) **क्या सार्वजनिक दूरभाष केन्द्र उपलब्ध है।**

(g) **क्या पशुवाटिका के जलपान गृह एवं .....** (Kiosk) **की सुविधा है।**

(14) **दर्शकों की सुरक्षा के उपाय:**

क्याः

(a) **कटघरों के चारों ओर, प्रभावी, खड़े रहने के लिए अवरोध लगे हैं**?

(b) **क्या चेतावनी के सूचना फलक यथेष्ट संख्या में लगे हैं।**

(c) **क्या प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है।**

(15) **पशुवाटिका का गत तीन वर्ष का आय-व्यय पत्रक**

आय	**अनुदान**	**कुल व्यय**

(16) **वार्षिक प्रतिवेदन, मार्गदर्शक पुस्तिका, आदि अन्य प्रकाशनों की प्रतियां**

(17) **पशुवाटिका के भविष्य के विकास की योजना (प्रतिलिपि संलग्न है)**

Appendix –I

बन्दी, महत्वपूर्ण, स्तन पाग्री प्रजातियों के भोजन/आरामगृह कटघरों का न्यूनतम माप

Family	Name of spp **प्रजाति का नाम**	**कटघरों की लम्बाई** x **चौड़ाई** x **ऊँचाई**
Family Falidae.	**शेर व चीता** (Lion : Tiger) **तेन्दुआ** (Phanther) **तेन्दुआ** (Cluded & Snow leopard) **छोटी बिल्ली** (Small Cat)	2.75x1.80x3.00 2.00x1.50x2.00 2.00x1.50x1.50 1.80x1.50x1.50
Elephantidae	**हाथी** (Elephant)	1.80x1.50x1.50
Rhinocerotidae	**एक सिंग भारतीय गेंडा**	8.99x6.00x5.50
Cervidae	Brow antered deer	3.00x2.00x2.50
Boridae	Hangul Swamp deer Musk deer Mouse deer **नीलगिरी थार** Nilgiri Thar	3.00x2.00x2.50 3.00x2.00x2.50 2.50x1.50x2.00 1.50x100x1.50 2.50x1.50x2.00
	चिंकारा **चौसिंगा** (Four Horned antilope) **जंगली भैंसा** **भारतीय बायसन** **सुरागाय** (Yak) **मारखोर** (Bharat Goral) Wildsheep & Markhor)	2.50x1.50x2.00 2.50x1.50x2.00 3.00x1.50x2.00 3.00x2.00x2.50 4.00x2.00x2.50
Equidae	**जंगली गधा** (Wild Ass)	4.00x2.00x2.50
Ursidae	**भारतीय रीछ समस्त प्रजाति** (Indian bear)	2.50x1.80x2.00
Canidae	**गीदड़, भेड़िया, जंगली कुत्ते**	2.00x1.50x1.50
Vivirri dae	Palm Civet Large Indian Civel & Binturang	2.00x1.00x1.00 2.00x1.50x1.00
Mustalli dae	Otters (All type) Ratel/Hogilad ger Martem	2.50x1.50x1.00 2.50x1.50x1.00 2.00x1.50x1.00
Pracyonidae	Red Panda	3.00x1.50x1.00
Lorisidae	Snow Loris & Slender loris	1.00x1.00x1.50
Cercopithecidae	**बन्दर व लंगूर**	2.00x1.50x1.00